न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :—श्री कैलाशचन्द्र शर्मा.आर.ए.एस

मु0माल स0 104/2010

1—आसोदेवी पुत्री गोमाराम जाति अरोडा निवासी 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थीया

बनाम

1—हेतराम पुत्र बगडावतराम जाति बिश्नोई निवासी 5 बी छोटी ते0श्रीगंगानगर

2—मनीराम पुत्र बोगाराम जाति सुथार निवासी 5 बी छोटी ते0श्रीगंगानगर

3—चुनीराम पुत्र बोगाराम जाति सुथार निवासी 5 वी छोटी ते0श्रीगंगानगर

4—भागीरथ पुत्र बोगाराम जाति सुथार निवासी 5 बी छोटी ते0श्रीगंगानगर

5—हेतराम पुत्र हरभजनराम जाति सुथार निवासी 5 वी छोटी ते0श्रीगंगानगर

6—बनवारीलाल पुत्र हरभजनराम जाति सुथार निवासी 5 बी छोटी ते0श्रीगंगानगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि01955

उपस्थितिः—1—श्री मोहनलाल माहर एडवोकेट— प्रार्थी

2—श्री सुरेन्द्रसिंह भनोत सिंहाग एडवोकेट—प्रार्थीगण

:—आदेश—: दिनांकः— 8 अक्टूबर,,2015

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार से है कि मूल वाद 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुऐ यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया हैं। कि चक 5 वी छोटी के खाता स0 6/15 मु0न024 कि0न01ता25 में 6.325 हैक्टयर आराजी प्रार्थीया की खातेदारी है। मु0न024 के प्रत्येक किले सालम होने से इस मुरब्बा में किसी प्रकार का कोई रास्ता या खाला नहीं हैं।प्रार्थीया ने अपनी सुविधा के लिऐ मु0न024 के कि0न021ता25 में एक छोटी पगडंडी बना रखी है जिसका उपयोग व उपभोग वादिया अपनी सुविधा हेतु करती हैं। अतः प्रार्थीया के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा ना करें। उक्त प्रार्थनापत्र मूल वाद के साथ प्रस्तुत होने पर वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुनकर दिनांक 26—7—15को विवादास्पद भूमि चक 5 बी छोटी के मु0न024 के कि0न01ता25 में से 21ता25 के सम्बन्ध में आगामी पेशी तक रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाई रखने हेतु अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थीगण की और से श्री सुरेन्द्रमोहन भनोत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा 10—7—2015 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मु0न024 प्रार्थीया द्वारा कय किया हुआ हैं उस विकय विलेख में भी कि0न021ता25 के

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

—cont (2)

विविच 104/10

दक्षिण साईड में मुरब्बा लाईन के साथ साथ रास्ता विद्यमान हैं। यह रास्ता जब से गांव बसा हैं तभी से विद्यमान हैं जो मु0न010,11,24,25,26,27 में विद्यमान हैं। प्रचलित रास्ते से आ जा रहें हैं। 1993 में प्रार्थीया के द्वारा रास्ते को बन्द करने का प्रयास किया गया। रास्ता ग्रामवासियान सुखाधिकार के रुप में सन 1928 से लगातार बिना व्यवधान के इस्तेमाल करते आ रहे है। 8(2)राज0कोला0के अन्तर्गत 44/1993 मुकदमा दर्ज होकर दिनांक 6–7–1993 को इसका निर्णय हुआ। हेतराम व अन्य अशादेवी अन्तर्गत 251 राज0काश्तकारी अधि0 का मु0न03/1993 दर्ज होकर तहसीलदार के द्वारा निर्णय दिनाक 30–12–1993 हो चुका है। अपील अति0 कलक्टर सर्तकता श्रीगंगानगर के 2/1994 पंजीबृद्व होरक दिनांक 24–4–1995 को निर्णित हुई ओर प्रार्थीया की अपील खारिज कर दी गई। प्रार्थीया व्यवधान उत्पन्न करना चाहती हैं जो विधि अनुसार अनुमत नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें।

हमने दिनांक 1–10–2015 को उभय पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी। दोनों पक्षों की बहस लिखित प्रार्थनापत्रों एंव जबाब पर आधारित थी। वकील अप्रार्थी ने अपने जबाब के साथ में सरपच ग्राम पंचायत,निर्णय तहसीलदार,श्रीगंगानर दिनांक 30–12–93,उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय के निर्णय दिनांक 6–7–1993 के का अध्ययन किया। चक 5 बी छोटी के मु0न024 के कि0न021ता 25 में रास्ता चल रहा हैं। प्रार्थीया का प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनता हैं और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र आशिंक रुप से स्वीकार किया जाता है। मु0न024 के कि0न021ता25 में चल रहे रास्ते की भूमि को छोडकर शेष भूमि में अप्रार्थीगण मूल वाद में निर्णय तक मु0न024 के कि0न021ता25 में किसी प्रकार से प्रार्थीया के कब्जा काश्त में मदाखलतबेजा नहीं करें। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

यह आदेश आज दिनांक अक्टूबर,2005 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर